भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 699

12.12.2022 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

699. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत सभी परियोजनाओं को उपयुक्त पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है और क्या सरकार ने प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के नवंबर माह में सेंट्रल विस्टा परियोजना क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को केंद्रीय विस्टा विकास / पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत यथा संशोधित ईआइए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सभी प्रकार से उचित विचार करने के पश्चात दिनांक 17.06.2020, 31.05.2021 और 01.09.2022 को क्रमशः (i) मौजूदा संसद भवन का विस्तार और नवीनीकरण; (ii) प्रधानमंत्री आवास, एसपीजी भवनों और उपराष्ट्रपति एंक्लेव के साथ-साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों तथा सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर का विकास/ पुनर्विकास और; (iii) एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के विकास/ पुनर्विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान गई की गई है।

ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएमपी अध्ययन कराए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित कार्यकलापों के कारण होने वाले अनुमानित प्रभावों के साथ-साथ जल, वायु, ध्वनि, जैव-विविधता, सामाजिक-आर्थिक तथा जन स्वास्थ्य के संबंध में आधारभूत पर्यावरणीय गुणवत्ता का मूल्यांकन करना शामिल है। परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय पर्यावरण पर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों के उपशमन हेतु वायु गुणवत्ता सहित विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं।

सेंट्रल विस्टा क्षेत्र सहित दिल्ली की वायु गुणवत्ता न केवल मानवजनित अपितु मौसम संबंधी कारकों यथा उद्योगों, वाहनों, धूल, पराली जलाना, ठोस अपशिष्ट, वायु की गति, धूप आदि पर भी निर्भर करती है, ये कारक वायु प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं। वर्ष 2020 को कोविड वर्ष होने के कारण छोड़ देने पर, वर्ष 2022 में नवंबर माह तक वर्ष 2021 की संगत अवधि की अपेक्षा वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया है।

*****